राज्यपाल सचिवालय
राजभवन जयपुर

क्रमांक: F.1(A)( )RB/2020/1850 दिनांक: 16 अक्टूबर, 2020

कार्यवाही विवरण

''टास्क फोर्स'' की बैठक माननीय कुलाधिपति महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 06.10.2020 को ''माइक्रोसॉफ्ट टीम'' प्लेटफार्म पर आयोजित की गई जिसमें ''टास्क फोर्स'' के सभी सदस्यो ने ''वीडियो कान्फ्रेंसिंग'' द्वारा बैठक में भाग लिया।

सचिव राज्यपाल ने ''टास्क फोर्स'' के सदस्यों का स्वागत किया एवं बैठक की संरचना से सभी सदस्यों को अवगत कराया। बैठक के आरम्भ में माननीय कुलाधिपति महोदय ने सदस्यों को संबोधित किया।

माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा टास्क फोर्स के सदस्यों से मुख्यतः निम्नांकित विषयों पर विस्तार से विचार जानने चाहे –

- राज्य में शिक्षा नीति, 2020 को लागू करने के लिए क्या प्रारंभिक कदम उठाये जाने चाहिए।
- वर्तमान परिस्थिति में नई शिक्षा नीति के तहत उल्लेखित विषय जैसे ऑनलाईन और डिजिटल शिक्षा, डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर, ऑनलाईन शिक्षण मंच, डिजिटल रिपोजटरी, वर्चुअल लैब्स, शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण और प्रोत्साहन के लिए ऐसे क्या कदम उठाये जाने चाहिए, जो राज्य की वर्तमान शैक्षणिक पृष्ठभूमि के आधार पर लिये जाने है।

उद्बोधन के पश्चात् प्रो. ए. के. गहलोत, सदस्य राज्यपाल सलाहकार बोर्ड ने ''टास्क फोर्स'' द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 को राज्य में शीघ्र क्रियान्वित किये जाने हेतु प्रस्तुतीकरण किया।

प्रो. गहलोत के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बिन्दु संख्या 27.2 के अन्तर्गत विश्वविद्यालयों द्वारा निम्नलिखित कदम उठाये जा सकते हैं–

1. चरणबद्ध क्रियान्वयन का रोड मैप
2. क्रमबद्धता का प्राथमिकीकरण

- पहले उन बिंदुओं का क्रियान्वयन चालू कर दिया जाए जिन पर विश्वविद्यालय स्वयं के स्तर से निर्णय ले सकते हैं।

3. समग्र क्रियान्वयन,
4. राज्यों से समन्वय– समवर्ती सूची
5. मानव, संरचनात्मक एवं वित्तीय संसाधन
6. विश्लेषण एवं समीक्षा

प्रो. गहलोत के अनुसार अनेकों ऐसे संस्थानिक बदलावों की शुरूआत की जा सकती है जिन पर निर्णय विश्वविद्यालय को स्वयं लेना है, उनके लिए विश्वविद्यालय योजना बनाना प्रारम्भ कर सकते हैं। विश्वविद्यालयों द्वारा –

1. ऑपन डिस्टेंस लर्निंग के कोर्सेज चिन्हित किये जा सकते हैं
2. ऑनलाइन प्रोग्राम चिन्हित किये जा सकते हैं
3. मल्टीपल एग्जिट के विकल्पों के संबंध में योजना बनाई जा सकती है
4. एकेडमिक क्रेडिट पॉईन्टस के विषय में योजना बनाई जा सकती है
5. सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए समुचित विधिक इकाई द्वारा बदलाव किये जाने की योजना विश्वविद्यालयों द्वारा बनाई जा सकती है
6. संस्थागत विकास योजना हेतु प्रारंभिक कार्ययोजना बनाई जा सकती है

विश्वविद्यालयों द्वारा स्थापित किये जा सकते हैं–

1. स्टार्टअप इन्क्यूबेशन केन्द्र
2. तकनीकी विकास केन्द्र
3. अग्रणी शोध केन्द्र
4. अंतःविषय शोध (मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान शोध को सम्मिलित करते हुए)
5. संक्रामक रोग शोध केन्द्र

विश्वविद्यालय निम्नलिखित बिन्दुओं पर रणनीति निर्धारित करें –

1. उच्च शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए अवसर लागत और शुल्क को कम करने
2. सामाजिक–आर्थिक रूप से वंचित छात्रों को अधिक वित्तीय सहायता और छात्रवृत्ति प्रदान करने
3. उच्च शिक्षा के अवसरों और छात्रवृत्ति हेतु नीतिगत निर्णय करने
4. प्रवेश प्रक्रियाओं एवं पाठ्यक्रम को अधिक समावेशी बनाये जाने की दिशा में प्रयास करने
5. उच्च शिक्षा कार्यक्रमों की रोजगार क्षमता में वृद्धि किये जाने की दिशा में प्रयास करने

6. सभी इमारतें और सुविधाएं व्हीलचेयर—सुलभ करने
7. वंचित शैक्षिक पृष्ठभूमि से आने वाले छात्रों के लिए ब्रिज कोर्स विकसित करने
8. उपयुक्त परामर्श और सलाह कार्यक्रमों के माध्यम से ऐसे सभी छात्रों के लिए सामाजिक—भावनात्मक और अकादमिक सहायता और सलाह प्रदान करे जिससे मेंटोर मेंटी या सलाहकार प्रणाली सभी विश्वविद्यालय द्वारा लागू की जा सके
9. लिंग—पहचान के मुद्दे पर संकाय, परामर्शदाता और छात्रों के संवेदीकरण को सुनिश्चित करे और उच्च शिक्षण संस्थानों के सभी पहलुओं में इसका समावेश करे,
10. सभी गैर—भेदभाव और उत्पीड़न विरोधी नियमों को सख्ती से लागू करें
11. संस्थागत विकास योजनाएं विकसित करें जिसमें SDGs से बढ़ती भागीदारी पर कार्रवाई की विशिष्ट योजनाएं शामिल हो
12. शिक्षा नीति के बिन्दु संख्या 14.4.2 (H-M) के क्रियान्वयन हेतु **Non Discrimination Statement** को कैम्पस एवं वेबसाइट पर स्पष्ट रूप से उद्धत एवं प्रकाशित करें, जिसमें राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय सक्रिय रूप से सभी छात्रों, कर्मचारियों और हितधारकों को— पृष्ठभूमि, परिस्थितियों, नस्ल, रंग, लिंग पहचान, सामाजिक—आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक और/या भौगोलिक पृष्ठभूमि, धार्मिक विश्वास, आयु और विकलांगता में अंतर के बावजूद समान रूप से उत्कृष्टता प्रदान करे।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सफल क्रियान्वयन पर प्रो. गहलोत द्वारा सुझाये गये बिन्दुओं पर सभी ''टास्क फोर्स'' सदस्यों द्वारा सहमति व्यक्त की गई एवं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुझाव सदस्यों द्वारा दिये गये—

प्रो. आ. के. एस. धाकरे

1. निम्न शैक्षिक स्तर वाले **B.Ed.** महाविद्यालयों को या तो बन्द कर दिया जावे या क्रमोन्नत कर दिया जाये।
2. राज्य स्तरीय निकाय केन्द्रीय सरकार के संबंधित विभागों के साथ समन्वय करें।
3. शिक्षा नीति में उल्लेखित अधिकतर विषय जैसे **CBCS,** क्रेडिट बैंक, समान पाठ्यक्रम इत्यादि विश्वविद्यालय अपने स्तर पर क्रियान्वित करने की योजना बनाये।

प्रो. आर. ए. गुप्ता

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसरण में विश्वविद्यालय एवं संबद्ध महाविद्यालयों में एग्जिट पॉलिसी लागू किये जाने हेतु कमेटी गठित कर आगे बढ़ने की रणनीति बनाएं।
2. पाठ्यक्रम को संशोधित कर बहुविषयक एवं अंतःविषयक बनाये।

प्रो. जे. एस. संधू

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसरण में ICAR द्वारा संभवतः शीघ्र जारी की जाने वाली रिपोर्ट को सभी कृषि विश्वविद्यालय लागू करें।
2. कृषि राज्य का विषय होने के कारण राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में प्राप्त निर्देशों को लागू किये जाने हेतु अनुशंसा को राजभवन द्वारा राज्य सरकार को प्रेषित किया जाना प्रस्तावित है।
3. कृषि विश्वविद्यालय अपनी Academic Council/ BOM द्वारा अनुमोदन लेकर मूल विषयों के पाठ्यक्रम को अधिक लचीला बना सकते हैं।
4. व्यावसायिक पाठ्यक्रम को विश्वविद्यालय द्वारा रेगूलर पाठ्यक्रमों में जोड़ा जाये जिससे विश्वविद्यालय की छात्र संख्या 3000 से अधिक रह सके।
5. विश्वविद्यालयों में राज्य सरकार द्वारा लगाये गये वित्तीय प्रतिबंध को दूर किया जाये।

डॉ. देवस्वरूप

1. तकनीकी एवं छात्र सशक्तिकरण पर विश्वविद्यालयों द्वारा जोर दिया जाना चाहिए
2. विश्वविद्यालय ऑनलाइन एवं ऑफलाइन मॉड के Adoption के UGC से स्पष्टीकरण प्राप्त करें
3. विश्वविद्यालयों द्वारा महाविद्यालयों को स्थायी संबद्धता दी जाये जिससे वह भविष्य में स्वायत्त महाविद्यालय बन सकें
4. विश्वविद्यालयों द्वारा समयबद्ध योजना बनाकर उसके क्रियान्वयन करने की आवश्यकता है तथा उस कार्य योजना को राजभवन से साझा करें जिससे उसकी मॉनिटरिंग की जा सकें।
5. विश्वविद्यालयों में छात्र परामर्श केन्द्र स्थापित किये जाने चाहिए।
6. शिक्षा नीति के पहले और बाद के चरणों का प्रलेखन जरूरी है जिसमें विश्वविद्यालयों द्वारा Academic Governing Bodies की नियमित रूप से बैठक कर एक आलेख तैयार किया जाना चाहिए एवं समयबद्ध योजना के तहत उसका क्रियान्वयन करें।

श्री संदेश नायक, आयुक्त कॉलेज शिक्षा

1. व्यावसायिक पाठ्यक्रम को बढ़ावा देना होगा
2. प्राध्यापकों के अकादमिक प्रशिक्षण एवं शोध कार्य पर विशेष ध्यान देना होगा
3. MOOC कोर्सेस को बढ़ावा दिया जाना चाहिए
4. एक विषयक महाविद्यालय को अन्य महाविद्यालय से जोड़ कर बहुविषयक महाविद्यालय बनाया जा सकता है

बैठक के अंत मे माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा निम्नलिखित दिशा निर्देश प्रदान किये गये–

1. विश्वविद्यालय उन बिन्दुओं की पहचान तत्काल करे जिन्हे एक माह के भीतर लागू कर सकते हैं जैसे कि विभिन्न विषयो पर नियम बनाना।
2. विभिन्न योजनाओं का निर्माण किया जाना है जिसके लिए इसी सप्ताह एक समिति का गठन कर दो से तीन माह में रिपोर्ट प्राप्त कर कार्यवाही की जाये।
3. विश्वविद्यालय की विभिन्न समितियों/परिषदों का पुर्नगठन किया जाना है ताकि कोई विधिक बाधा न आये, इस हेतु तत्काल कार्यवाही की जाये।
4. राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के क्रियान्वयन हेतु ऐसे सभी विषय जो राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आते हों, उन पर राज्य सरकार का मंतव्य शीघ्र प्राप्त किया जाये।
5. विश्वविद्यालय शिक्षा नीति लागू करने की कार्यवाही तुरन्त प्रारम्भ करें जिससे विद्यार्थियों में विश्वसनीयता का जागरण हो।
6. विश्वविद्यालयों द्वारा शिक्षा नीति का समयबद्ध एवं चरणबद्ध क्रियान्वयन समग्र तौर पर किया जाये।

बैठक के अन्त में सचिव राज्यपाल द्वारा सभी कुलपतिगणों को धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

Sd-
(डॉ. अनुज सक्सेना)
सदस्य सचिव, टास्क फोर्स

क्रमांकः F.1(A)( )RB/2020/851 दिनांक 16.10.2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख विशेषाधिकारी, माननीय राज्यपाल, राजभवन, जयपुर।
2. प्रो. ए. के. गहलोत, सदस्य राज्यपाल सलाहकार बोर्ड।
3. समस्त सदस्य टास्क फोर्स।
4. आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. विशेषाधिकारी –II
6. निजी सचिव, सचिव, राज्यपाल, राज., जयपुर।

विशेषाधिकारी–I
उच्च शिक्षा